



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श0)  
(सं0 पटना 1128) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 22/2019 - राज्य कर (दर)

एस० ओ० 368 दिनांक 30 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या -556, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में -

(i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“9	किसी म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा किसी मूल ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक रचना से संबंधित कापी राइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का किसी सौंगीत	म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार की सौंगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	सौंगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति, जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हों।”

कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति को अंतरण करने या उसके उपयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति ।		
--	--	--

(ii) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“9क	किसी लेखक द्वारा अपने मूल साहित्यिक रचना से संबंधित किसी प्रकाशक को कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का अंतरण करके या उसके प्रयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवा की आपूर्ति	लेखक	<p>कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित प्रकाशक: बशर्ते की इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां कि,-</p> <p>(i) लेखक ने बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के तहत पंजीकरण लिया है, एवं अधिकार क्षेत्र वाले सीजीएसटी या एसजीएसटी आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष अनुबंध । में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर, यह घोषणा की हो कि वह कॉलम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा पर बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार अनुपालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व होता है और वह ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त विकल्प को वापस वापस नहीं लेगा ।</p> <p>(ii) लेखक प्रकाशक के समक्ष फॉर्म <b>GST Inv-I</b> में अपने द्वारा जारी किए गए इनवॉयस के अनुबंध-1। में निर्धारित घोषणा करेगा ।“</p>

(iii) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“15	किसी बॉडी कारपोरेट को मोटर वाहन को किराए पर प्रदान की गई सेवा	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो मोटर वाहनों को किराये पर देने की सेवा पर 2.5% की दर से केंद्रीय कर का भुगतान करता है तथा केवल व्यापार के समान राह में इनपुट सेवा का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है ।	ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कर वाले भू-क्षेत्र में अव्यवस्थित हो ।”

(iv) क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“16	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (“SEBI”) की सेक्युरिटीज लेंडिंग स्कीम, 1997 (“स्कीम”) के अंतर्गत प्रतिभूतियों को उधार देने की सेवाएं ।	लेनदार अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम से पंजीकृत या अपनी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पंजीकृत प्रतिभूति को सेबी की इस स्कीम के अंतर्गत उधार देने के उद्देश्य से किसी अनुमोदित मध्यस्थ के पास जमा करता है ।	देनदार ऐसा व्यक्ति जो इस स्कीम के अंतर्गत सेबी के द्वारा अनुमोदित किसी मध्यस्थ से प्रतिभूति को उधार लेता है ।“

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

## प्रपत्र

(सारणी के क्रम संख्या 9A)

(घोषणा जिसको कि, लेखक के द्वारा, किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग अथवा उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी की गई सेवा की आपूर्ति पर फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए, 1.11.2019 से प्रभावी होने के लिए 31.10.2019 को या उससे पहले तथा किसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले किया जाना है । )

संदर्भ संख्या .....

तारीख

.....

सेवा में,

.....  
 .....  
 .....

(अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है)

1. लेखक का नाम
2. लेखक का पता
3. लेखक का जीएसटीआईएन

## घोषणा

1. मैंने बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के तहत पंजीकरण ले लिया है, और मैं अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 का क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर, बीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, राज्य कर का भुगतान फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत करने विकल्प का प्रयोग करता हूं और बीजीएसटी अधिनियम, 2017 (12 का 2017) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार के अनुपालन करूंगा, जैसा कि वे किसी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होते हैं;
2. मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को, एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह जिस वर्ष इसे स्वीकार किया गया है उस वर्ष के अगले वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक, कम से कम, वैध रहेगा ।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

जीएसटीआईएन .....

स्थान .....

तारीख .....

अनुबंध 11

(घोषणा जिसे इनवॉयस में उस लेखक के द्वारा की जानी है जिसने की फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग या उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा की आपूर्ति पर कर के भुगतान के विकल्प का चयन किया हो ।)

घोषणा

मैंने फॉरवर्ड चार्ज के तहत अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में सारणी के क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)22)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 368, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)22)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 30<sup>th</sup> September 2019*

**Notification No. 22/2019- State Tax (Rate)**

S.O. 368, Dated 30<sup>th</sup> September 2019—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 13/2017-State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 556, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Supply of services by a music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original dramatic, musical or artistic works to a music company, producer or the like.	Music composer, photographer, artist, or the like	Music company, producer or the like, located in the taxable territory.

- (ii) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
9A	Supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher.	Author	Publisher located in the taxable territory: Provided that nothing contained in this entry shall apply where, - (i) the author has taken registration under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and filed a declaration, in the form at Annexure I, within the time limit prescribed therein, with the jurisdictional CGST or SGST commissioner, as the case may be, that he exercises the option to pay state tax on the service specified in column (2), under forward charge in accordance with Section 9 (1) of BGST Act, under forward charge, and to comply with all the provisions of BGST Act, 2017 (12 of 2017) as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option; (ii) the author makes a declaration, as prescribed in Annexure II on the invoice issued by him in Form GST Inv-I to the publisher.

- (iii) after serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“15.	Services provided by way of renting of a motor vehicle provided to a body corporate.	Any person other than a body corporate	Any body corporate located in the taxable territory.”;

- (vi) after serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“16.	Services of lending of securities under Securities Lending Scheme, 1997 (“Scheme”) of Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), as amended.	Lender i.e. a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorised on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the Scheme of SEBI	Borrower i.e. a person who borrows the securities under the Scheme through an approved intermediary of SEBI.”;

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of October, 2019.

**Annexure I**

**FORM**

(Declaration to be filed by an author for exercising the option to pay tax on the “supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher” under forward charge on or before 31.10.2019 for the option to be effective from 1.11.2019 *or* before the commencement of any Financial Year for the option to be effective from the commencement of that Financial Year.)

Reference No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

To

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(To be addressed to the jurisdictional Commissioner)

1. Name of the author:
2. Address of the author:
3. GSTIN of the author:

**Declaration**

1. I have taken registration under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and I hereby exercise the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in the notification No. 13/2017-State Tax (Rate), dated 29 June, 2017 supplied by me, under forward charge in accordance with section 9 (1) of BGST Act, and to comply with all the provisions of BGST Act, 2017 (12 of 2017) as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both;
2. I understand that this option, once exercised, shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option and shall be valid, at least, till the end of Financial Year following the year in which it is made.

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

GSTIN \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

(Declaration to be made in the invoice by the author exercising the option to pay tax on the “supply of service by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher” under forward charge.)

**Declaration**

I have exercised the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in the notification No. 13/2017-State Tax (Rate) dated 29 June, 2017 under forward charge.

(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7) 22)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1128-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>